

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 मई 2022—ज्येष्ठ 5, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 26 मई 2022

क्र. एफ बी 04-02-2022-2-पांच (24).—मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 के नियम 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि उक्त नियमों के नियम 25 के उपनियम (2) के खण्ड (क), (ख), (ग) व (घ) में विनिर्दिष्ट वर्गों के स्टाम्प विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को स्टाम्प क्रय/ई-स्टाम्प के लिए साख सीमा हेतु क्रय पर बट्टा/कमीशन निम्न तालिकानुसार अनुज्ञेय होगा:—

तालिका

स. क्र. (1)	स्टाम्प/मूल्य वर्ग (2)	बट्टा/कमीशन की दर (3)
1	नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प, हुण्डी स्टाम्प, छापित स्टाम्प पेपर :— (एक) 100 रुपए या कम मूल्य वर्ग के स्टाम्प पेपर पर (दो) 100 रुपए से अधिक मूल्य वर्ग के स्टाम्प पेपर पर	2 प्रतिशत 1.5 प्रतिशत
2	किसी भी मूल्य का ई-स्टाम्प	1.5 प्रतिशत
3	राजस्व स्टाम्प	10 प्रतिशत

2. उक्त तालिका में दी गई बट्टा/कमीशन की दरें दिनांक 1 नवम्बर 2014 से प्रभावी रहेगी.

3. उक्त नियमों के नियम 25 के उपनियम (2) के खण्ड (ख), (ग) व (घ) में विनिर्दिष्ट वर्गों के सेवा प्रदाताओं को दिनांक 4 मई 2022 से बट्टा/कमीशन की पात्रता नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2022

क्र. एफ बी 04-02-2022-2-पांच (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ बी 04-02-2022-2-पांच (24), दिनांक 26 मई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 26th May 2022

No. F B 04-02-2022-2-V-(24).—In exercise of the powers conferred by Rule 34 of the Madhya Pradesh Stamp Rules, 1942, the State Government, hereby, notifies that discount/commission on purchase of stamps / purchase of credit limit for e-stamps shall be allowed to class of stamp vendors / service providers specified in clause a, b, c and d of sub rule (2) of rule 25 of the said Rules, as mentioned in the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Stamps / denominations (2)	Rate of discount / commission (3)
1	non-judicial stamps, hundi stamps, impressed stamp papers :— (i) On stamp papers of denomination of Rs 100 or less (ii) On stamp papers of denomination of more than Rs 100	2 percent 1.5 percent
2	e-stamps of any denomination	1.5 percent
3	revenue stamps	10 percent

2. The rates of discount / commission given in the above table shall be effective from 1<sup>st</sup> November 2014.

3. Service providers specified in clause b, c and d of sub rule (2) of rule 25 of the said Rules shall not be eligible for discount / commission from 4<sup>th</sup> May 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.